

भाग- IV
प्रस्ताव सं०:- FPI/OT/Road/36708/2018

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की संस्तुत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

C of, ~~...~~ की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

हस्ताक्षर

Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Notal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

दिनांक- 27/3/18
स्थान